संख्या:-13/2018/जी0आई0-116/60-3-18/2018-65(सा0)/16

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांक: लखनऊ: 20 जुलाई, 2018

विषयः-स्वाधार गृहों में महिलाओं/बालिकाओं की आयु सत्यापन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-एस डब्लू-57/5/2018-स्वाधार, दिनांक 22 जून, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वाधार गृहों में महिलाओं/बालिकाओं को प्रवेश कराये जाने के दौरान उनकी आयु का सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने जनपद में उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0 एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित स्वाधार गृहों में आवासित महिलाओं/बालिकाओं के आयु सत्यापन हेतु फोरेंसिक जांच यथा-Bone density आदि के माध्यम से कराने का कष्ट करें। सही आयु का अंकन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नाबालिग बच्चियों को उनके विधिक अधिकार दिलाने में सहायक सिद्ध होगा, विशेषकर उन बच्चियों को जो शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्याः- जी0आई0-116 (1)/60-3-18 व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-एस डब्लू-57/5/2018-स्वाधार, दिनांक 22 जून, 2018 के सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे समस्त पुलिस अधीक्षकों को इस आशय के निर्देश निर्गत करायें कि स्वाधार गृहों में महिलाओं/बालिकाओं को प्रवेश दिलाने से पूर्व Bone density आदि के माध्यम से आयु सुनिश्चित कराकर ही गृह में दाखिल करायें।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।